न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/16 **निर्णय दिनांकः** 13-10-17

रामलाल पुत्र गोकुलराम जाति ब्राहमण निवासी धण्टेल तहसील व जिला चूरू।

अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—08—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री नारायण दास खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18—08—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/32 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की

सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा पत्रावली की नकल निकलवाई गई तो उसे ज्ञात हुआ कि पत्रावली पर चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/52 का उल्लेख करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/32 के लिए आवेदन किया गया था एवं उक्त रकबा आज दिनांक को आराजीराज दर्ज है व आवंटन हेतु उपलब्ध है। अतः अदालत मातहत को आदेशित किया जावे कि अपीलांट के आवंटन पत्रावली में जो रकबा खारिज किया गया है वह अपीलांट द्वारा आवंटन फार्म में आवेदित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट का रकबा खारिज नहीं है। मौके पर रकबा आराजीराज है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 17–02–16 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 17–02–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/32 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–8–1999 को मुरब्बा नम्बर 17/52 की भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटन हो चुकी है, अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/32 के लिए आवेदन किया गया था न कि मुरब्बा नम्बर 17/52 के लिए। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरणअधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर चक 7 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 17/32 की भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर